

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक शीडर/2024/171  
प्रार्थी

1 गोधुसिंह पुत्र शेरसिंह  
जाति रावणा राजपूत,  
निवासी लालाणियों की  
ढाणी तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण, जिला बाड़मेर।

बनाम

दिनांक - 16.01.2025  
अप्रार्थीगण

1 जवारसिंह पुत्र शेरसिंह 2 अण्ठी पत्नि इन्द्रसिंह 3  
गेमरसिंह पुत्र सायबसिंह 4 गुमानसिंह पुत्र नगसिंह 5  
बाबूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 6 भीखी पत्नि सायबसिंह 7  
मिश्रसिंह 8 सुजानसिंह पिसरान इन्द्रसिंह 9 सवाईसिंह  
पुत्र नगसिंह 10 लूणसिंह पुत्र शेरसिंह 11 मीरा पत्नि  
रणजीता 12 देवाराम 13 ओमप्रकाश पिसरान चुनाराम 14  
सुशिला पत्नि देवाराम 15 मदनलाल पुत्र रणजीताराम 16  
धापु पत्नि चुनाराम 17 बंशीलाल 18 मदनलाल 19  
राजेन्द्र पिसरान रणजीता 20 पुरखसिंह 21 गणपतसिंह  
पिसरान प्रहलादसिंह 22 लूणसिंह पुत्र शेरसिंह 23  
मदनसिंह 24 नरपतसिंह पिसरान गजेसिंह जातियान  
रावणा राजपूत निवासीयान सेंवरो की बस्ती तहसील  
बाड़मेर जिला बाड़मेर 25 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 34/2024

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1707/855 रकबा 2.7761 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ  
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर  
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र  
के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी  
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान  
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ  
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
( वीरमा राम )


उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड बाड़मेर  
बाड़मेर

दिनांक- 16.01.2025

क्रमांक :- शीडर/2024/172-175

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय  
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गोधुसिंह पुत्र शेरसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी लालाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामिण,  
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जवारसिंह शेरसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी सेंवरो की बस्ती तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड बाड़मेर  
बाड़मेर